राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :— 601/2023

डॉ. प्रभू दयाल (कर्मचारी आई.डी.— आरजेएसके201133024823)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2023
आदेश की दिनांक : 02.02.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज खीचड़, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र. गारिण्डा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ सेठान, सीकर किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 23.06.2022 से स्थानांतरण श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर से पीएचसी, कासरड़ा, सीकर किया गया था। इसके पश्चात् उक्त आदेश में संशोधन करते हुए आदेश दिनांक 18.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण श्री कल्याण चिकित्सालय सीकर से सीएचसी गारिण्डा, सीकर किया गया। अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापित स्थान सीएचसी गारिण्डा सीकर में अपनी उपस्थिति दिनांक 24.08.2022 को दी थी। वर्तमान स्थानांतरण केवलमात्र 5 माह की अल्प अवधि में ही दुर्भावनावश किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्को पर विचार किया।
4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant

holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इसमें कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।
6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)